

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।

आदेश

संख्या: /VIII-2 D/24/उ0शा0/2025

दिनांक: 24 सितम्बर, 2025

“महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (बचाव, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन आन्तरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन किया जाना।”

महिलाओं का यौन शोषण (बचाव, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अनुमोदन दिनांकित 23 सितम्बर, 2025 के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अधिष्ठान हेतु एक “आन्तरिक परिवाद समिति” (Internal Complaints Committee) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:

क्र० सं०	समिति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं विभाग	पदनाम/दायित्व	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईडी
1	श्रीमती कमलेश भण्डारी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।	पीठासीन अधिकारी	9557319149	kamleshbhandari08@gmail.com
2	श्री प्रदीप कुमार मणि, सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।	सदस्य	6397344127	pradeepmani82@gmail.com
3	श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।	सदस्य	9411102046	abhishek16gopal@gmail.com
4	श्रीमती गायत्री दरमवाल, सामाजिक कार्यकर्ती, (सदस्य एन0जी0ओ0- विमर्श संस्था)	सदस्य	9627437233	gayatri.darmwal12@gmail.com

2- उपरोक्त “आन्तरिक परिवाद समिति” (Internal Complaints Committee) के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यकाल इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

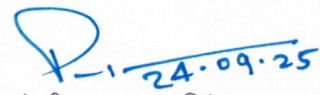
आज्ञा से माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय,

ह0/-
(प्रदीप कुमार मणि)
सदस्य-सचिव

संख्या: 2168 /VIII-2 D/24/उ0शा0/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- नोडल अधिकारी/निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 4- सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यगण।
- 5- गार्ड फाईल/सम्बन्धित पत्रावली।


(प्रदीप कुमार मणि)
सदस्य-सचिव